न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या **4/2021**

श्री सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1- श्री घनश्याम सिंधी पुत्र श्री धुलाराम सिंधी, मैसर्स कृष्णा जनरल स्टोर्स, बस स्टेण्ड के पास, प्रतापगढ़
2- श्री धुलाराम सिंधी मैसर्स कृष्णा जनरल स्टोर्स, बस स्टेण्ड के पास, प्रतापगढ़

– अप्रार्थीगण

:–आदेश–:

दिनांक 18/02/2021

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थीगण के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीयान ने मिसब्राण्डेड घी (वास्तु) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जांच रिपोर्ट मय [illegible] पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन [illegible] की प्रति प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2021.02.18 14:54:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार [illegible]नांक 10.07.2020 को [illegible] 4.30 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मै0 कृष्णा जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ पर पहुंचा, अपना परिचय दिया तथा उनका परिचय लिया। उस समय दूकान पर श्री

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ़

घनश्याम सिंधी पुत्र श्री धुलाराम उपस्थित थें । विक्रेता से पुछने पर उक्त संस्थान का स्वयं को मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष अनुज्ञापत्र प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालिक की उपस्थिति में दूकान का निरीक्षण किया जहां पर घी (वास्तु) के 1 लीटर वाले 15 पैकेट मूल ही सिल्ड अवस्था में आमजनता को बिक्री वास्ते रखे हुए थे जिनमें गुणवत्ता में कमी/मिसब्राण्ड का शक होने पर 15 सील्ड पैकिट मे से 4 सील्ड पैकिट घी (वास्तु) 1 लीटर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उनकी कीमत 1520 रूपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहान व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जॉच हेतु क्रय की गयी घी (वास्तु) की 1 लीटर वाली 4 पैकेट पर फार्म नं. 5 ए पर वर्णित सभी जानकारी अंकित पायी गयी। मौके पर उक्त घी (वास्तु) की खरीद के सम्बन्ध में अग्रिम बिल प्रस्तुत नहीं किया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 सील्ड पैकिट घी (वास्तु) 1 लीटर पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकिट पर एक-एक कर चिपकाये जिस पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई-1112 दर्ज कर प्रत्यैक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ,गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर कराते हुए प्रत्येक नमूना डिब्बो पर लेबल चिपकाने सम्बन्धी कार्यवाही करने के बाद प्रत्येक डिब्बों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को गोंद से चिपकाया गया । चारो नमूना जारों पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई-1112 दर्ज कर प्रत्यैक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं गवाह ने हस्ताक्षर किये , विक्रेता ने पेपर स्लिप व खाकी कागज क्रॉस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये । नियमानुसार नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये गये चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया ।

कार्यालय पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर वह नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल की थी। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर [illegible] कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा [illegible] न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं.6 की प्रति [illegible] चपडी से सील्ड मोहर कर खाद्य विश्लेषक बांसवाडा को जमा कराकर फार्म सं. [illegible] की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील्ड बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील्ड बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2021.02.18 14:54:12 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला प्रतापगढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/2161 दिनांक 21.08.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. पीएच लेब/बांसवाडा/एक्ट/2020/114 दिनांक 23.07.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (वास्तु) मिसब्राण्ड होना पाया गया।

अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण श्री घनश्याम सिंधी को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।

अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित व अपने जवाब में बताया कि नमूने में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है है। शेष सभी पेरामीटर्स में यह नमूना मानक स्तर का पाया गया है। प्रार्थी द्वारा यह भी बताया गया कि एक सेल्समेन द्वारा उसकी दूकान पर ही उक्त घी का बेचान किया जिसका उसे बिल नही दिया गया। भविष्य में प्रार्थी नियमों का पूर्ण पालन करते हुए मिसब्राण्ड प्रकृति के पदार्थ विक्रय नहीं करेगा। अतः प्रकरण में न्यूनतम जुर्माना करने का निवेदन किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच लेब/बांसवाडा/Act/2020/114 दिनांक 23.07.2020 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा गया घी (वास्तु) का नमूना जांच रिपोर्ट में **misbranded** होना पाया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2021.02.18 14:54:12 IST
Reason: SelfAttested

अतः अप्रार्थी अभियुक्त मेसर्स कृष्णा जनरल स्टोर्स, प्रतापगढ़ पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत दिनांक 10.07.2020 को अप्रार्थी के यहां

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

उपलब्ध कुल माल 15 लीटर की कुल कीमत 5700 रू की पॉच गुना शास्ति अर्थात (15X380X5) = 28500/ रू शास्ति अक्षरे अठाइस हजार पॉच सौ रू शास्ति आरोपित की जाती है । अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0/नगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक **18.02.2021** से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

क्रमांक/रीडर/2020/41-43 दिनांक 18.02.2021

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. श्री घनश्याम सिंधी पुत्र श्री धुलाराम सिंधी, मैसर्स कृष्णा जनरल स्टोर्स, बस स्टेण्ड, प्रतापगढ़

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2021.02.18 14:54:12 IST
Reason: SelfAttested